विविध बैंक प्रकरण संख्या 96/2019 (RCMS 2019/00162) पंजाब नेशनल बैंक, पुरानी आबादी, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री जसबीर सिह मीलू प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर(राज.) बनाम 1. मैसर्स विक्की प्रोविजन स्टोर–प्रो. श्री सत्य नारायण शर्मा पुत्र श्री कालूराम 2. श्रीमती सुमन शर्मा पत्नि श्री सत्य नारायाण शर्मा निवासी मकान नं. ए–212, आईसक्रीम फैक्ट्री के पास, माइक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स विक्की प्रोविजन स्टोर–श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 10.00 लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.04.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीममती सुमन शर्मा की अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. ए–212 (क्षेत्रफल 22' गुणा 55'), आईसक्रीम फेक्ट्री के पास, माईक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 08.01.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.12.2018 को 8,25,874/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 14.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया एवं

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसकी प्राप्ति रसीद के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. ए–212 (क्षेत्रफल 22' गुणा 55'), आईसक्रीम फेक्ट्री के पास, माईक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स विक्की प्रोविजन स्टोर–प्रो. श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा को 10.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.04.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. ए–212(क्षेत्रफल 22' गुणा 55'), आईसक्रीम फेक्ट्री के पास, माईक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 08.01.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 14.01.2019 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है तथा पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कन्साईन्मैंट के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है एवं सत्य नारायण शर्मा के स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित धारा 13(2) के नोटिस की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. ए–212(क्षेत्रफल 22' गुणा 55'), आईसक्रीम फेक्ट्री के पास, माईक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जो अप्रार्थीगण ऋणियों श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 14.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण मैसर्स विक्की प्रोविजन स्टोर–प्रो. सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस ऑन लाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है तथा अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

श्री सत्य नारायण शर्मा के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रतियां भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों श्री सत्य नारायण शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. ए–212(क्षेत्रफल 22' गुणा 55'), आईसक्रीम फेक्ट्री के पास, माईक्रोवेव टावर के पीछे, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जो कि ऋणी श्री सत्य नारायण शर्मा एवं सुमन शर्मा के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर